राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–150/2011/जयपुर

राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, जयपुर (प्रथम)

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री सीताराम कुमावत पुत्र श्री नारायण लाल, निवासी Ka-14, भोमिया नगर, कलवाड़ नगर, झोटवाड़ा, जयपुर।
2. श्री गोरधन लाल अग्रवाल पुत्र श्री रामेश्वर लाल अग्रवाल, निवासी झोटवाड़ा, जयपुर।

...अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :
श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से

श्री ईश्वर देवड़ा
अभिभाषक ....अप्रार्थी सं. 1 की ओर से
अनुपस्थित ..अप्रार्थी सं. 2

निर्णय दिनांक : 15.11.2016

निर्णय

1. यह निगरानी राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, जयपुर (प्रथम) द्वारा विद्वान अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर (प्रथम), (जिसे आगे **'कलक्टर मुद्रांक'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 19.07.2010 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसमें अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर (प्रथम) ने स्वविवेक से प्रारम्भ किये गये प्रकरण को पारित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इकरारनामा दिनांक 31.07.2001 को पूर्ण मुद्रांकित करवाने हेतु पेश किया। यह इकरारनामा श्री गोरधन लाल अग्रवाल विक्रेता द्वारा भूखण्ड संख्या 67 भोमिया नगर, प्रथम जयपुर क्षेत्रफल 200 वर्गगज क्रेता अप्रार्थी संख्या 1 सीताराम कुमावत के पक्ष में 4,50,000/– रूपये के बदले नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित था। अधीनस्थ न्यायालय ने डी.एल.सी. के अनुसार 2,50,830/– रूपये का मूल्यांकन बनना बताया परन्तु इकरारनामा 4,50,000/– का होने के कारण सम्पत्ति का मूल्यांकन 4,50,000/– रूपये मानते हुए कमी स्टाम्प वसूली के आदेश दिये। जिसके विरूद्ध राज्य पक्ष ने इस आधार पर निगरानी प्रस्तुत की है कि इकरारनामा पूर्ण मुद्रांकित करने हेतु दिनांक 19.07.2010 को पेश हुआ है इसलिए यह मूल्यांकन इकरारनामा प्रस्तुत होने

लगातार.....2

की तिथि दिनांक 19.07.2010 को प्रचलित डी.एल.सी. के अनुसार होना चाहिए।

3. प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मूल्यांकन इकरारनामा प्रस्तुत होने की तिथि दिनांक 19.07.2010 को प्रचलित डी.एल.सी. के अनुसार होना चाहिए।

5. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने कथन किया कि इसी सम्पत्ति का पंजीयन दिनांक 01.04.2013 को हो चुका है जिसकी प्रति फार्म नं. 3 के साथ प्रस्तुत कर दी गई है। इस प्रकार इकरारनामे से संबंधित सम्पत्ति का दस्तावेज जब पंजीकृत हो चुका है तो विचाराधीन निगरानी का कोई औचित्य नहीं है।

6. विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता के कथन से सहमति व्यक्त की।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

8. विचाराधीन प्रकरण में मुख्य विवाद यह है कि इकरारनामा दिनांक 31.07.2001 पूर्ण मुद्रांकित करने हेतु दिनांक 19.07.2010 को पेश हुआ है, इसलिए इसका मूल्यांकन इकरारनामा प्रस्तुत होने की तिथि दिनांक 19.07.2010 को प्रचलित डी.एल.सी. के अनुसार होना चाहिए। चूंकि उपरोक्त इकरारनामा दिनांक 31.07.2001 में वर्णित सम्पत्ति 67 भोमिया नगर प्रथम जयपुर झोटवाड़ा, जयपुर क्षेत्रफल 200 वर्गगज का पंजीयन जरिये विक्रय पत्र दिनांक 01.04.2013 द्वारा हो चुका है जिसमें पृष्ठ संख्या 3 पर इस इकरारनामा दिनांक 31.07.2001 का भी उल्लेख है। इस प्रकार प्रकरण में विक्रय पत्र का पंजीयन हो जाने के पश्चात इकरारनामे को पूर्ण मुद्रांकित करवाने का बिन्दु प्रभाव शुन्य है जिससे यह निगरानी भी प्रभाव शून्य हो चुकी है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(नत्थू राम)
सदस्य